E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका सं0– 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (संविदा)– 07/2023..5906.. पटना, दिनांक– 19/07/2023

आदेश

बन्दोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी का पत्रांक 394 दिनांक 31.03.2023 द्वारा श्री राकेश कुमार रौशन (Emp.ID-SKN00696), विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के विरूद्ध भ्रष्टाचार, अपकृष्ट व्यवहार एवं गंभीर कार्यशिथिलता का आरोप प्रतिवेदित करते हुए चयनमुक्त करने की अनुशंसा की गयी।

श्री रौशन के विरूद्ध रैयतों से खुलेआम रिश्वत मांगने, सहकर्मियों के साथ गाली–गलौज करने एवं क्षेत्र कार्य के दौरान नशे की हालत में होने का भी आरोप है। उनके द्वारा वरीय पदाधिकारियों के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है बल्कि उन्हें धमकी देते है। रैयतों से प्राप्त दावा आपत्ति की संख्या बहुत अधिक होने के वाबजूद श्री रौशन द्वारा बहुत कम मामलों की प्रविष्टि की जाती है और पदाधिकारियों को अधिक प्रविष्टि से संबंधित गलत प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाता है।

बन्दोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा अंचल– बथनाहा, शिविर–03 का औचक निरीक्षण एवं जाँच के क्रम में रैयतों से श्री रौशन के विरूद्ध जो शिकायतें प्राप्त हुई, उससे आमजनों में कार्यालय/विभाग के प्रति असंतोष का माहौल व्याप्त हुआ एवं विभाग/सरकार की छवि धूमिल हुई।

उक्त आरोपों के संबंध में निदेशालय पत्रांक 4968 दिनांक 16.06.2023 द्वारा आरोपित से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। तदुपरान्त आरोपित द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण अभ्यावेदन में उनके ऊपर लगाये गये आरोपों को झूठा एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी के शिविर जाँच को षडयंत्र बताया गया है, किन्तु ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जो इन पर लगे आरोपों का खण्डन कर सकें।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी दिनांक 14.09.2022 को सीतामढ़ी जिले में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा के क्रम में श्री रौशन द्वारा सरकारी अधिनियम/नियमावली के विरूद्ध सर्वेक्षण कार्य करने के कारण चार माह के मानदेय की कटौती करते हुए इसकी पुनरावृत्ति होने पर सेवा समाप्त करने की चेतावनी दी गयी थी।

बन्दोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं अनुशंसा तदुपरान्त श्री रौशन से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपित के द्वारा भ्रष्टाचार, अपकृष्ट व्यवहार एवं गंभीर कार्यशिथिलता जैसे कार्य प्रमाणित होते है। साथ ही पूर्व में दिये गये दण्ड के बावजूद इनके कार्य आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ है, जिससे परिलक्षित होता है कि इन्हें कार्यों में कोई रूचि नहीं है। ऐसे कर्मी के आचरण का प्रभाव अन्य कर्मी पर नहीं पड़ने के दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन बनाये रखना उचित नहीं होगा।

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली– 2019"** के नियम 8(4) के तहत बन्दोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री राकेश कुमार रौशन (Emp.ID-SKN00696), विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का संविदा नियोजन आदेश निर्गत की तिथि से समाप्त किया जाता है।

19/7/23

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Jyoti-2023\Bablu Sir\Order\Director\07-2023-13-07-2023 (Terminate- Rakesh).doc

ज्ञापांक— 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (संविदा)— 07/2023....5906.......... **पटना, दिनांक** :19/07/2023
प्रतिलिपि :— बन्दोबस्त पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बन्दोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक— 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (संविदा)— 07/2023....5906.......... **पटना, दिनांक** :19/07/2023
प्रतिलिपि :— श्री राकेश कुमार रौशन (Emp.ID-SKN00696), विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक— 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (संविदा)— 07/2023....5906.......... **पटना, दिनांक** 19/07/2023
प्रतिलिपि :— श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि इसकी स्कैन कॉपी R2R साफ्टवेयर के अन्तर्गत संधारित उक्त कर्मी का व्यक्तिगत संचिका में भी अपलोड करें।

निदेशक 19/7/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप